

अपील प्राधिकारी-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-के अंतर्गत
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एस.सी.ओ. 5-10, सेक्टर -16ए फरीदाबाद, पिन:121002

अपील पत्र दिनांक:27.02.2023

संदर्भ सं०: ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./2200/1784

दिनांक: 28.03.2023

लोक प्राधिकारी का नाम

: पावरग्रिड उ. क्षेत्र-1 मुख्यालय फरीदाबाद -121002

आदेश

आर. टी. आई प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2023 श्री विरेंद्र कुमार शर्मा, निवासी 1/2888, परमानन्द निवास, लेबर कालोनी, जय प्रभानगर, सहारनपुर - 247001 (उ. प्र.) के द्वारा प्रबंधक निदेशक, पावरग्रिड, गुरुराम को address किया जो कि सी.पी.आई.ओ, केंद्रिय कार्यालय के कार्यालय से सी पी आई ओ, उ. क्षेत्र 1 के कार्यालय में दिनांक 03.02.2023 को प्राप्त हुआ। इसके उपरांत पत्र संदर्भ संख्या:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2200/7248 दिनांक 01.03.2023 के माध्यम से बिंदु न.1 से 3 तक की जानकारी आर. टी. आई अधिनियम के नियमों के अनुसार प्रदान की।

अब, श्री विरेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा सी. पी. आई. ओ., उ. क्षेत्र.1 द्वारा भेजे गये उपरोक्त पत्र से संतुष्ट न होने पर अपील पत्र दिनांक 27.02.2023 भेजा जो कि प्रबंधक निदेशक को address किया है। अपील पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि सी.पी.आई.ओ. के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 13.01.2023 के द्वारा तीन बिंदुओं पर सूचना चाही गई है, वांछित सूचना अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपीलकर्ता से प्राप्त अपील पत्र को पुनः सी. पी. आई. ओ., उ.क्षे.प्रथम को पुनर्विचार के लिये भेजा गया। इस अनुसार सी. पी. आई. ओ., उ.क्षे.प्रथम ने अपील पत्र, आर. टी. आई प्रार्थना पत्र एवं सम्बंधित कार्यालय से प्राप्त Input के आधार पर भेजी गई बिंदुवार सूचना पत्र दिनांक 01.03.2023 में निहित है। उपरोक्तानुसार अध्ययन करने के उपरांत यह जानकारी देना चाहते है कि आर. टी. आई. अधिनियम के माध्यम से जानकारी दस्तावेजों के अनुसार जो भी जानकारी उपलब्ध होती है या अधिनियम के अनुसार जो जानकारी दे सकते है वही जानकारी दी जा सकती है।

अतः अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत सभी सम्बंधित दस्तावेजों का अध्ययन करने के पश्चात यह बताना है कि सी. पी. आई. ओ., उ.क्षे. प्रथम ने अपने पत्र संदर्भ संख्या:पावरग्रिड/उ.क्षे.1/आर.टी.आई./2200/7248 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार दी गई जानकारी आर. टी. आई अधिनियम, 2005 के नियमानुसार है। अतः आपका अपील पत्र बंद (dispose) किया जाता है।

[ए. के. मिश्रा]

कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे. 1। एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
ई-मेल:akmishra2@powergrid.in, फोन न. 0129-2666301

प्रतिलिपि :

1. श्री विरेंद्र कुमार शर्मा, निवासी 1/2888, परमानन्द निवास, लेबर कालोनी, जय प्रभानगर, सहारनपुर - 247001 (उ. प्र.) , मोबाईल न. 9411081351 : आपके अपील पत्र दिनांक 27.02.2023 के संदर्भ में।
2. श्री राजेश वी., मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एवं अधिकृत सी पी आई ओ, उ.क्षे.1: सूचना एवं रिकार्ड हेतु।
3. श्री जगन्नाथ राव, मुख्य महाप्रबंधक, सी.पी.आई.ओ, केंद्रिय कार्यालय, गुरुग्राम: जानकारी एवं रिकार्ड हेतु।